राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1)/जोधपुर/2019–20 दिनांकः– 8/8/19

30963

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद,
जोधपुर।

विषयः– ग्राम पंचायत चांदसता के सार्वजनिक प्याउ निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
संदर्भः– आपका पत्रांक 1748 दिनांक 30.05.2019 एवं 2459 दिनांक 05.07.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 6145–52 दिनांक 30.01.2018 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद, जोधपुर, से निम्नांकित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	भीलों की ढाणी भीम सागर व सरनाड़ा के बीच जीएलआर निर्माण मय पाईप लाईन	नया बेरा/ लोहावट	6145–52 30.01.2018	10.00	01/ 27.05.19	10.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–18/2018–19 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावें। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
4. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावें। पेयजल योजना निर्माण पश्चात 7 वर्ष तक संधारण एवं संचालन कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।

5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों की देख–रेख में किया जावें।
6. ट्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावें।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने में कार्य स्थल का Longitude & latitutde अंकित की जावें।
9. योजना में भू–जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर नलकूप वैधन किया जावें।
10. कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावें।

भवदीय,

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1)/जोधपुर/2019–20 दिनांकः– 8/8/19

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ । 3096373

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) जोधपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 18/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त जिला परिषद, जोधपुर को राशि 10.00 लाख रु हस्तान्तरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर/जोधपुर को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)